क्रमांक डीए-40/2/2025-डीए-डीओपी

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

(आईआर और जीबी डिविजन)

डाक भवन, संसद मार्ग

नई दिल्ली-110001

दिनांक 14.10.2025

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

15 अक्टूबर, 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं की बहाली

डाक विभाग को यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि **15 अक्टूबर 2025** से संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के लिए सभी श्रेणियों की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं बहाल हो जाएंगी।

2. पूर्व में, अमेरिकी प्रशासन द्वारा डाक से प्राप्त होने वाली सभी शिपमेंट्स के लिए *डी-मिनिमस* ट्रीटमेंट को निलंबित करते हुए जारी किए गए कार्यकारी आदेश 14324 के अनुसरण में, 22 अगस्त 2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए डाक सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था।

3. दिल्ली और महाराष्ट्र सर्कलों में, नवीनतम अमेरिकी सीमा शुल्कों और सीमा संरक्षा (सीबीपी) संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने वाली प्रणाली के सफल प्रचालन परीक्षण के बाद, अब इन सेवाओँ को पूरी तरह से बहाल किया जा रहा है। भारतीय डाक ने पहली बार, डिलीवरी ड्यूटी पेड (डीडीपी) समाधान कार्यान्वित किया है, जिससे सभी लागू अमेरिकी आयात शुल्कों का बुकिंग के समय भारत में ही अग्रिम संग्रह संभव हुआ है। इन शुल्कों को इस हेतु अनुमोदित पक्षों के माध्यम से सीधे सीबीपी को विप्रेषित कर दिया जाता है, जिससे निर्बाध अनुपालन, द्रुत कस्टम क्लियरेंस और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क भुगतान के अमेरिका में संबंधित पतों पर डिलीवरी सुनिश्चित की जाती है।

4. इस नई प्रणाली के अंतर्गत, भारत से अमेरिका भेजे जाने वाली डाक-शिपमेंट्स पर, घोषित एफओबी मूल्य (प्रेषक देश भारत के साथ आईईईपीए टैरिफ के अनुसार) **के 50% की एक समान दर से** सीमा शुल्क लगाया जाता है। कूरियर या वाणिज्यिक शिपमेंट्स के विपरीत, डाक वस्तुओं

पर कोई अतिरिक्त 'आधारभूत या उत्पाद-विशिष्ट' शुल्क लागू नहीं होते हैं। यह अनुकूल 'शुल्क संरचना' निर्यातकों की 'समग्र लागत' को कम करती है, जिससे एमएसएमई, छोटे व्यापारियों, कारीगरों तथा ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए डाक चैनल और भी अधिक किफायती एवं प्रतिस्पर्धी बन जाता है।

5. ग्राहक अब किसी भी डाकघर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आईबीसी), या डाक घर निर्यात केंद्र (डीएनके) से या स्वयं-सेवा पोर्टल www.indiapost.gov.in के माध्यम से अमेरिका के लिए सभी श्रेणियों के अंतर्राष्ट्रीय मेल - ईएमएस, एयर पार्सल, पंजीकृत पत्र/पैकेट और ट्रैक्ड पैकेट - बुक कर सकते हैं।

6. यह पहल, कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देती है और शुल्क संग्रहण में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, जिससे डिलीवरी संबंधी अनिश्चितताएं समाप्त हो जाती हैं। सभी सर्कल प्रमुखों को इस संबंध में निर्यातकों और विक्रेताओं को जानकारी प्रदान करने तथा डीएनके और निर्दिष्ट बुकिंग कार्यालयों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाने के निदेश दिए गए हैं।

7. डाक विभाग डीडीपी और पात्र पक्षीय सेवाओं (Qualified Party Services) की सुविधा के लिए ग्राहकों पर **कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा।** डाक सेवाओं को किफायती बनाए रखने और एमएसएमई, निर्यातकों तथा छोटे व्यवसायों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु डाक शुल्कों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सभी उपयोगकर्ताओं के लिए डाक सेवाओं को सुगम और किफायती बनाए रखते हुए डाक चैनल से निर्यात को बढावा देना है।

8. डाक विभाग किफायती और विश्वसनीय वैश्विक लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी प्रदान करते हुए मेक इन इंडिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) तथा डाक घर निर्यात केंद्र (डीएनके) जैसी भारत सरकार की प्रमुख पहलों में अपना योगदान देने और झंझट मुक्त अंतर्राष्ट्रीय निर्यात सुविधा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

हिमांशु चौधरी
सहायक महानिदेशक (आईएम)

प्रति प्रेषित : अंग्रेजी पाठ के अनुसार